तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नारायणसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 230/2023 (ऑनलाईन नं. 353731874610119)	
05.02.24	अपीलार्थी नारायणसिंह पुत्र मूलसिंह पता खीरजा पोस्ट हिन्डालगोल तह. बाप जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.07.2023. में उसके द्वारा (1) कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक एफ–2(1) न्यायिक/शस्त्र/2022/1189 जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण को जांच हेतु लिखा गया श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा जांच की गई उस जांच की प्रमाणित फोटो प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1137 दिनांक 19.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वांछित सूचना संबंधित विभाग से इस कार्यालय में अप्राप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं होने से दी जानी संभव नहीं है। प्रार्थी नारायणसिंह को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1037 दिनांक 22.08.2023 द्वारा इस संबंध में सूचित किया [illegible] अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र कार्यालय में [illegible] से दिया जाना संभव नहीं होने बाबत् सूचित किया [illegible] स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की [illegible] प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:16:36 IST
Reason: SelfAttested